प्रेस नोट
दिनांक 01.08.2026

थाना इटियाथोक पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा 01 वांछित गो-तस्कर पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार, 01 अदद तमंचा, 01-01 अदद खोखा/जिंदा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक दवाच्यॉ के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 -77/25, धारा 109 बीएनएस, 3/25 आर्म्स एक्ट, 3/5ए/8 गौवध अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित वांछित 02 आरोपी अभियुक्त 01. अब्दुल कलाम, 02. अब्दुल गफ्फार को बाबागंज बाजार के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद चाकू व 01 अदद आपाची मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी विनय मौर्य पुत्र महराजदीन ग्राम परना बगुलहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा धाना इटियाथोक को लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 30.07.2026 की शाम वादी शौच के लिए गया था गन्ने के खेत के पास साड़ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि अशंका होने पर वह गाँव के लोगो को बुलाया और इकट्ठा होकर गन्ने के खेत में गये तो शीशम के पेड़ में एक साड़ क्रूरता पूर्वक बंधा हुआ है उसके पास कुछ व्यक्ति खड़े है जो भागने लगे तो ग्राम वासियों द्वारा दौड़ाकर एक व्यक्ति को पकडना चाहा तो उसने अपने हाथ में लिए धारदार हथियार से ग्राम वासियों पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया जिससे ग्राम वासी क्रान्ति पाण्डेय, अतुल पाण्डेय, अरुण राज घायल हो गये तथा ग्राम वासियों के सहयोग से उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। जिसका नाम अशरफ अली पुत्र असलम निवासी लोनावा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा है तथा उसके पास से 03 अदद चाकू, चापर, कुल्हाडी, एक तराजू बांट और मांस काटने हेतु प्लास्टिक का बोरा मिला। तथा उसके शेष साथी फरार हो गये थे। वादी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा अभियुक्त अशरफ अली को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया था। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा एसओजी/सर्विलांस टीम सहित टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक को फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

जिसके क्रम में दिनांक 31.07.2026 की रात्रि एस0ओ0जी0 व थाना इटियाथोक की संयुक्त टीम चोरी, लूट व नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु रात्रि गश्त में रवाना होकर इटियाथोक क्रासिंग के पास संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी । चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल संदिग्ध दिखायी दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तेज रफ्तार से गाड़ी आगे भगा दी । जिसको पुलिस टीम द्वारा पीछा करते हुए घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया । जिसमें मोटरसाइकिल चालक द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस टीम पर भागते हुए फायरिंग कर दी । पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में शातिर गौ तस्करकमरुद्दीन उर्फ कचनें पुत्र शमशुल्ला कुरैशी निवासी अली नगर लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोंडा के पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 28 अदद गौवंशीय पशु ट्रक में लदे हुए बरामद किया गए ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कमरुद्दीन उर्फ कचनें पुत्र शमशुल्ला कुरैशी निवासी अली नगर लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-271/26, धारा 109 बीएनएस, 3/5/8 गौवध अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0, 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तंचमा 315 बोर मय 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।

02. 01 अदद होण्डा साइन मोटरसाइकिल बरामद

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री कमलाकान्त त्रिपाठी थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

02. उ0नि0 प्रशान्त कुमार

03. उ0नि0 अंकित यादव

04. हे0का0 अखिलेश राय

05. हे0का0 फहीमुद्दीन खान

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.08.2026

जनपद गोण्डा पुलिस को मिला अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन, सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन को मिलेगी नई गति-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, सुरक्षित एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 01.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा यूपी-112 कार्यालय से अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।यह अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन आधुनिक तकनीकों एवं उन्नत उपकरणों से सुसज्जित है, जिसके माध्यम से ओवर स्पीड, लापरवाही एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, यातायात नियमों का उल्लंघन, बिना सीट बेल्ट एवं हेलमेट वाहन संचालन, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए वाहन चलाना तथा अन्य यातायात संबंधी उल्लंघनों की प्रभावी निगरानी एवं कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही वाहन में लगे आधुनिक कैमरे एवं उपकरण साक्ष्य संकलन में भी सहायक होंगे, जिससे यातायात नियमों के उल्लंघन पर त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा बताया गया कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, आमजन के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था स्थापित करना गोण्डा पुलिस की प्राथमिकता है। इंटरसेप्टर वाहन के संचालन से यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन के साथ-साथ वाहन चालकों में नियमों के प्रति जागरूकता एवं अनुशासन की भावना भी विकसित होगी।

इस अवसर क्षेत्राधिकारी यातायात श्री विनय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.08.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में तहसील दिवस पर समस्त राजपत्रित अधिकारी गण द्वारा सुनीं गयी जनसमस्याएं, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के दिए गए निर्देश-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में आज दिनांक 01.08.2026 को आयोजित तहसील दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त तहसील परिसरों में पुलिस अधिकारियों द्वारा आमजन की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना गया तथा उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधे श्याम राय द्वारा तहसील सदर, क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह, क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल, क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक दवाच्या तथा क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री आनंद राय ने अपने-अपने तहसील परिसरों में उपस्थित होकर फरियादियों की समस्याओं को संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ सुना। प्राप्त प्रार्थना पत्रों का परीक्षण कर संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों द्वारा कहा गया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत का निस्तारण पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत तरीके से किया जाए तथा किसी भी पीड़ित को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। विशेष रूप से भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, आपसी मारपीट, अवैध कब्जा, महिला उत्पीड़न तथा अन्य कानून-व्यवस्था से संबंधित मामलों में राजस्व एवं पुलिस विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जनपद गोण्डा पुलिस आमजन की समस्याओं के त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी समाधान के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा शासन की मंशा के अनुरूप जनसुनवाई को प्रभावी बनाते हुए प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।

मीडिया सेल, गोण्डा